

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत उमट्टा—बरसाली—मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला—काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

संलग्न:-

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर


सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

पत्रांक: 500 /जि0टा0फो0च0 /मोटर मार्ग /2016-17, दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय: जनपद चमोली, विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला काण्डा तक विस्तारीकरण हेतु संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,
उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 3372/10 एमएन, दिनांक 19.11.2016, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0च0 /मोटर मार्ग /2016-17, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

दायाँ हाथ सत्यापित

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग (चमोली)

जनपद चमोली, विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला काण्डा तक विस्तारीकरण हेतु संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 3372/10 एमएन, दिनांक 19.11.2016, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली, विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला काण्डा तक विस्तारीकरण हेतु मोटर मार्ग संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अभिषेक रावत, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की उपस्थिति में भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :-

पहुँच/अवस्थिति :

प्रश्नगत मोटर मार्ग संरेखण स्थल बरसाली से आगे बैरफाला काण्डा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण प्रस्तावित है। संरेखण का निर्माण उमट्टा बरसाली निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कि०मी० 05 से आगे प्रारम्भ किया जाना है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त संरेखण की कुल लम्बाई 05 कि०मी० प्रस्तावित है। उक्त संरेखण के निर्माण से उसके मध्य पड़ने वाले कतिपय ग्राम व तोक मोटर मार्ग से जुड़ सकते हैं।

भूआकृति/भूगर्भीय तथ्य :

उक्त मोटर मार्ग संरेखण अलकनन्दा नदी के बायें तट के अपस्तोप/पहाड़ी ढालों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसमें संरेखण को भिन्न-भिन्न फेंसिंग के पहाड़ी ढालों से गुजारा जाना है जिसमें कतिपय स्थलों पर लगभग ऊर्ध्वाधर पहाड़ी ढाल तथा कतिपय स्थलों पर सीढ़ीनुमा कृषियुक्त खेत जो कि अधिकांशतः मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप में विद्यमान हैं। स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 20° - 45° उत्तरपूरब, दक्षिणपश्चिम तथा कतिपय स्थलों पर ऊर्ध्वाधर पहाड़ी ढाल के रूप में विद्यमान है। उक्त संरेखण में 08 हेयरपिन बैण्ड्स का प्राविधान किया गया है। संरेखण निर्माण में बैण्ड्स का प्राविधान इस प्रकार किया जाय कि हेयरपिन बैण्ड्स एक-दूसरे के ऊपर तथा गुजरने वाली आर्म्स के मध्य उचित दूरी विद्यमान हो सके।

संरेखण मुख्यतः गढ़वाल समूह की चट्टानों के मध्य अवस्थित क्षेत्र है जिसमें स्थल के उत्तर में मुख्य केन्द्रीय भ्रंश तथा दक्षिण में उत्तर अल्मोड़ा थ्रस्ट गुजरता है। संरेखण के मध्य मुख्यतः क्वार्ट्जिटिक, फिलिटिक व शिष्ट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं जिसमें शिष्ट प्रकृति की चट्टानें कतिपय स्थलों पर हाइली वेदर्ड प्रकृति के साथ विद्यमान हैं तथा मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के कतिपय स्थलों पर नालों के द्वारा तट कटाव क्षेत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। प्रस्तावित मार्ग संरेखण में चट्टानों की नति 190° उत्तर तथा 65° पूरब फेंसिंग के साथ क्वार्ट्जिटिक प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। उक्त चट्टानों में नति व पहाड़ी ढाल कतिपय स्थलों पर एक ही दिशा में विद्यमान है। जिसके लिए कतिपय स्थलों पर उचित सिविल भूआग्यांत्रिकी महत्त्व का उपयोग कर मार्ग को सुरक्षित किया जाना होगा।

एम्मा श्री सतमापि

सहायक अभियन्ता

प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

उक्त क्षेत्रान्तर्गत मृदा की मोटाईयुक्त परत विद्यमान है जिससे अधोभूमि में स्वरथानें चट्टानें निचले भूभाग में विद्यमान हो सकती हैं। उक्त क्षेत्रान्तर्गत चट्टानें कतिपय स्थलों पर वेदर्ड प्रकृति की दृष्टिगोचर होती हैं। उक्त क्षेत्र में कटाव के पश्चात् भराव क्षेत्र को कॉम्पेक्ट किया जाना उचित होगा जिससे मोटर मार्ग को स्थायित्व प्रदान हो सके।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरक्षण स्थल पर निम्न सुझाव एवं शर्तों के साथ विचार किया जाय :-

1. संरक्षण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. सम्पूर्ण मोटर मार्ग संरक्षण में मजबूत रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल (वीप हॉल सहित) जहाँ आवश्यक हो, निर्माण किया जाय।
3. संरक्षण के निचले ढाल पर अवस्थित मोटर मार्ग की सुरक्षा हेतु कटाव क्षेत्र से उत्सर्जित मटिरियल को निचले पहाड़ी ढालों पर कदापि न फैलाया जाय।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का कड़ाई से पालन किया जाय।
5. मोटर मार्ग के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से पक्की नालियों द्वारा नियन्त्रित कर कॉजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल/नालों में निक्षेपित किया जाय।
6. संरक्षण स्थल पर सम्भावित भूस्खलन/भूधसांव से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जाय।
7. मोटर मार्ग संरक्षण स्थल पर रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल का आधार दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों अथवा उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के साथ रखा जाय।
8. मोटर मार्ग संरक्षण कटाव के पश्चात् कतिपय स्थलों पर अपस्लोप व डाउनस्लोप प्रभावित हो सकते हैं जिसके लिए उचित प्रबन्ध किये जाय।
9. चूंकि उक्त स्थल भारतीय सीजमिक मानचित्र में भूकम्पीय जोन में वर्गीकृत है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।
10. मोटर मार्ग संरक्षण कटाव से उत्सर्जित मलवा पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर विछाया/इकट्ठा किया जाय अन्यथा निचले भूभाग पर अवस्थित क्षेत्रों में वर्षाकाल के दौरान जल प्रवाह से मृदा व चट्टानों के प्रवाह के साथ निचले भूभागों में भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र जनित हो सकते हैं।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर संरक्षण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग संरक्षण निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

दृष्टांतर स्त्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० वि० वि०
कर्णप्रयाण (चमोली)

(अमित गोस्व)
सहायक भूतज्ञानिक